(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 02 / 2025
पंजीकरण सं. :– 2025 / 64

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)
(प्रार्थी)

बनाम

मोईनुद्दीन अंसारी पुत्र बदरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी आरामशाह का कुंआ, रंगबाड़ी, बालाजी के पास, मांगरोल जिला बारां (राज.) (विक्रेता) मैसर्स मोनू आईसक्रीम, रंगबाड़ी, बालाजी वार्ड नं. 05, मांगरोल जिला बारॉ (राज.)
(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– अनुपस्थित खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 18.08.2025

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री मोजीलाल कुंभकार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार दिनांक 26.04.2025 को मैसर्स मोनू आईसक्रीम, रंगबाड़ी, बालाजी वार्ड नं. 05, मांगरोल जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर मोईनुद्दीन अंसारी पुत्र बदरूद्दीन (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मौजीलाल कुंभकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा है और इन्हे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या प.5(01)चिस्वा / ग्रुप–3 / ई. 5095 / 2024 दिनांक 05.07.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसमें क्रम संख्या 9 पर मेरा नाम अंकित है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान सरकार के आदेश कमांक एफ / खासुऔनि / संस्था / 2025 / 101 दि. 15.01.2025 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा आवंटित किया गया है जिसमें क्रम संख्या 10 पर मेरा नाम अंकित है। साथ हीं आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वारा प्राप्त आदेश कमांक खासुऔनि / आयुक्त / ESTB/2025 / 670 दि. 12.03.2025 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मौजीलाल कुंभकार को जिला बारां का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी (ऑरेन्ज)** 300 नग (प्रत्येक 50 ग्राम) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी (ऑरेन्ज)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विकेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी (ऑरेन्ज)** 1200 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत मोईनुद्दीन अंसारी पुत्र बदरूद्दीन (विक्रेता) को 120 / – रूपये (अक्षरे एक सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी (ऑरेन्ज)** को स्टी के बर्तन में एकरूप कर चार साफ–सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों [illegible] प्रत्येक में फार्मलीन की 24–24 बूंद डालकर तथा ढक्कन लगाकर एयरटाईट बंद किया एवं प्रत्येक भाग [illegible] लेबल [illegible]ार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक ए.एच.–2183 दर्ज किया। [illegible] मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग [illegible] कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–2183 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक [illegible] से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी [illegible]। प्रत्येक नमूना भाग [illegible]क के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे मोईनुद्दीन अंसारी पुत्र बदरूद्दीन (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:48:19 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/2025/57 दिनांक 19.05.2025 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/367/PHLK/Act/2025/367 दिनांक 07.05.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी (ऑरेन्ज)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(Zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 28.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मैं प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर जुर्मान पर डिसाइड करवाने पर सहमत हूं। इस पर प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाकर एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी (ऑरेन्ज)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/367/PHLK/Act/2025/367 दिनांक 07.05.2025 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मैं एक छोटा दुकानदार हूं। मेरे द्वारा किसी अन्य थोक व्यापारी से उक्त माल क्रय किया गया था किंतु उसके द्वारा मुझे बिल नहीं दिया गया। अतः मेरे विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी (ऑरेन्ज)** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/367/PHLK/Act/2025/367 दिनांक 07.05.2025 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 15,000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **18.08.2025** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:48:19 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)